राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 118/2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021/301**

1. रिसाल देवी पत्नि भागमल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.........वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
2. लाला पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
3. भागमल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
4. पप्पु उर्फ प्रवीण पुत्र ऋषिपाल जाति निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
5. संजय कुमार पुत्र ऋषिपाल जाति निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
6. सोमवीर पुत्र ऋषिपाल जाति निवासी ढाणी भालोठ तह0 बुहाना जिला झुंझुनू
7. दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि0 शाखा भालोठ जरिये शाखा प्रबंधक त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा सिंघाना त0 बुहाना
9. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक तह0 बुहाना
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

..........प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 9/12/25

(1). वादीया ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 178 के ख0न0 821/199 रकबा 0.93हे0 के संयुक्त खातेदार वादीया व प्रति0 स0 1 से 6 दर्ज रिकार्ड है जिसमें व[illegible] 59/186 हिस्सा है प्रति0 स0 1 का 59/372 हिस्सा प्रति0 स0 2 का 59/372 [illegible] प्रति0 स0 3 का 59/372 हिस्सा, प्रति0 स0 4 का 1/62 [illegible] 5 का 1/62 हिस्सा प्रति0 स0 6 का 1/62 हिस्सा दर्ज है तथा खातेदार शान्ति देवी पत्नि बीरबल फ[illegible] चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति0 स0 1 से 3 है जिसका हिस्सा भी बराबर बराबर उनको प्राप्त हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

(2). यह कि ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 166 के हाल ख0न0 206 रकबा 0.02 है0 , ख0न0 207 रकबा 0.05 है0, ख0न0 208 रकबा 1.30 है0, ख0न0 835/211 रकबा 0.09 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.46 है0 के संयुक्त खातेदार कास्तकार वादी व प्रति0 स0 1 से 7 दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा है, प्रति0 स0 1 का 1/8 हिस्सा प्रति0 स0 2 का 1/8 हिस्सा प्रति0 स0 3 का 1/8 हिस्सा प्रति0 स0 4 का 1/16 हिस्सा प्रति0 स0 5 का 1/16 हिस्सा प्रति0 स0 6 का 1/16 हिस्सा दर्ज है तथा खातेदार शान्ति देवी पत्नी बीरबल फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रति0 स0 1 से 3 है इसलिए उनका 1/8 हिस्सा प्रति0 स0 1 से 3 को प्राप्त होने पर प्रति0 स0 1 से 3 का 3/6 हिस्सा हो गया।

(3) यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 ल0 2 में वर्णित भूमि में वादीया व प्रति0 स0 1 ल0 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है मौके पर आपस में सुविधानुसार कास्त कर रहे है वादीया ख0 न0 821/199 रकबा 0.93 है0 मेसे 0.44 है0 भूमि कास्त करती है तथा शेष हिस्सा अन्य खसरा नम्बर में है।

(4) यह कि वादीया ने ख0न0 821/199 में पशुओं व कृषि औजार रखने के लिए दो मकान बना रखे है तथा पंचायत समिमि बुहाना में वादीया को पानी का टांका (होद) बना कर दिया है प्रति0 स0 4 से 6 ने भी दक्षिण पूर्वी कौने पर मकान बना रखे है तथा उसके उतर में वादीया ने पशुओं के लिए चारा डालने व कृषि भूमि में अनाज निकाल कर डालने के लिए दो मकान टीन सेढ के बना रखे है तथा इसी के पास में पंचायत समिमि बुहाना ने पानी के बचाव के लिए एक भूमिगत पानी का टांका (होद) की राशि स्वीकृत करके बना दिया है लेकिन अब प्रति0 स0 4 से 6 के मन में बेईमानी आ गई है वो जबरन वादीया के हिस्से पर जहां पर पानी का भूमिगत होद बना हुआ है उसमें जबरन निर्माण करने के लिए पत्थर डालना शुरु कर दिया है तथा धमकी देना शुरु कर दिया है कि ख0न0 821/199 में जबरन वादीया के हिस्से पर कब्जा कर निर्माण करेंगें। यदि प्रति0 स0 4 से 6 अपने मनसुबों में कामयाब हो जाते है तो वादीया को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नही किया जा सकेगा। तथा वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा उसकी किस्म कृषि दर्ज है जब तक प्रति0 स0 4 से 6 विभाजन नही करवा लेते है तब तक उनको जबरन निर्माण करने की कोई अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:52 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। तथा प्र[illegible] होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक [illegible]3.07.2022 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 334 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2580 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त करें पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 178, 166, में वादीया के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 178 के ख0न0 821/199 रकबा 0.93है0 व ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 166 के हाल ख0न0 206 रकबा 0.02 है0 , ख0न0 207 रकबा 0.05 है0, ख0न0 208 रकबा 1.30 है0, ख0न0 835/211 रकबा 0.09 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.46 है0 भूमि में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:52 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–118/2021

रिसाल देवी **बनाम** गोपाल आदि

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीया की ओर से **श्री प्रविन्दर सिंह शेखावत एडवोकेट** की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पूनम मीणा चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 178 के ख0न0 821/199 रकबा 0.93है0 व ग्राम ढाणी भालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 166 के हाल ख0न0 206 रकबा 0.02 है0 , ख0न0 207 रकबा 0.05 है0, ख0न0 208 रकबा 1.30 है0, ख0न0 835/211 रकबा 0.09 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.46 है0 भूमि में वादीया का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:52 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख 9/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.))

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
(उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.))